प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ए0एम0 इण्टरनेशनल स्कूल
गजराजगंज,जनपद–जौनपुर

पत्रांकः / मान्यता / 34144-47 /2020–2021 दिनांक : 25·3·2021

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 के नियम–15 के उप नियम (4) के अधीन अग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

जॉच अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की की आख्या / संस्तुति तथा उ0प्र0 शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक–11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या–196 / अडसठ–3–2020–2041 / 2018 शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक–29 जून 2020 द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक–20–03–2021 के अनुकम मे आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली मे उल्लिखत प्राविधानो के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए ए0एम0,इण्टरनेशनल,स्कूल,गजराजगंज,जनपद–जौनपुर को **तारीख 25–03–2021 से तारीख 24–03–2022** तक कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के (अंग्रेजी माध्यम) से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं–

1– मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा–06 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित् करेगा :–

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापको / शिक्षको की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक)सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) मे निहीत है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

For A. M. INTERNATIONAL SCHOOL
MUKUND MISHRA
MANAGING DIRECTOR

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नांनुसार हैं–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- कुल निर्मित क्षेत्र
- क्रीडास्थल का क्षेत्रफल
- कक्षाओं की संख्या
- प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डागार के लिये कक्षा
- बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई
- बाधा रहित पहुँच
- अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– है

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओ या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक X है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित् किया जाय।

17– संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18– मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर से कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत् मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ0सं0: /मान्यता/ /2020–2021 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज

2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।

3– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन ,नेशनल विल्डिगं कोड के मानक के अनुसार निर्मित है, और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन मे स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शासनादेश दिनांक–11–जनवरी 2019 के द्वारा निर्धारित मानको की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

4– कार्यालय प्रति।

For A. M. INTERNATIONAL SCHOOL
MUKUND MISHRA
MANAGING DIRECTOR

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवामें,

प्रबन्धक,
ए0एम0 इण्टर नेशनल स्कूल
मुगराबादशाहपुर
जौनपुर।

पत्रांक / मान्यता / 11322-25 /2019-20 दिनांक 25.3.2020

विषय: निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के आधीन *अंग्रेजी माध्यम* विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या / संस्तुति तथा उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89 / अरसठ-3-2018-2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनाक 25.03.2020 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार / निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए *ए0एम0 इण्टर नेशनल स्कूल मुगराबादशाहपुर, जौनपुर* को दिनांक 25.03.2020 से 24.03.2021 तक *कक्षा 01 से कक्षा 05 (अंग्रेजी माध्यम)* के लिए मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः-

1 मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध-2) के उपाबंधो का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 01 मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेंगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय में निष्काशित नहीं किया जायेगा :
- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा :
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी :
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा :
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना:
- अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें :
- प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) मे निहित है।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

For A. M. INTERNATIONAL SCHOOL
MUKUND MISHRA
DIRECTOR

- कुल निर्मित क्षेत्रफल
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
- कक्षाओं की संख्या।
- प्राध्यापक–सह कार्यालय– सह –भंडारागार के लिए कक्ष
- बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
- बाधा रहित पंहूच
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओ या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह का सगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **X** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जांए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन मे आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

पृ0सं0/मान्यता/ /2019–20 दिनांक–उक्तवत ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रुपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय मे स्थापित अग्निशमन यत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 11 जनवरी 2019 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है अन्यथा कि स्थिति मे एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति ।

For A. M. INTERNATIONAL SCHOOL
MUKUND MISHRA
MANAGING DIRECTOR

(प्रवीण कुमारी तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

Form No:4285

Office of the District Basic Education Officer
JAUNPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **A M International School,Sujanganj Bypass Road Mungra Badshapur Jaunpur 222202** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to A M International School is **X.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	31-08-2022(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School
5.Recognition No.	

DATE:- 31-08-2022

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer

Digitally signed by GORAKHNATH PATEL
Date: 2022.08.31 19:52:16
Reason: For Digital Signature
Location: JAUNPUR

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

Form No:7286

Office of the District Basic Education Officer

JAUNPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **A M International School,Sujanganj Bypass Road Mungra Badshapur Jaunpur 222202** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to A M International School is **X.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	17-12-2022(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	**Old**
4.School Type	**Upper Primary School(6 to 8)**
5.Recognition No.	

DATE:- 17-12-2022

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in